



## न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 104/2017 अपील  
पंजीयन दिनांक - 01.08.2017  
निर्णय दिनांक - 19.04.2018

1. श्री मोती पिता श्री भागीरथ गाडरी, निवासी रकमपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

- अपीलान्त

### बनाम

1. श्री दलीचन्द पिता श्री उदा सालवी, निवासी रकमपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

- रेस्पोंडेन्ट्स

### उपस्थिति:-

1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलान्त
2. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या-1
3. श्री योगेन्द्र दशोरा - वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या-2

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 69/2017, दिनांक 19.05.2017

### निर्णय

दिनांक 19.04.2018

अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 69/2017, दिनांक 19.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष

प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना अनुसार मौजा रकमपुरा, पटवार हल्का नपानिया, तहसील भदेसर का वर्ष 2011-12 में भू-प्रबन्ध किया गया, उक्त भू-प्रबन्ध के दरमियान उसके खातेदारी की आराजी संख्या 107/4 रकबा 2 बीघा नवीन आराजी संख्या 757 कायम कर उसका रकबा 0.35 हेक्टर दर्ज किया गया जो रेस्पोंडेंट के कुल रकबा 2 बीघा होना चाहिए था परन्तु रकबा 0.35 हेक्टर दर्ज कर रकबा कम कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ने रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 19.05.2017 पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 19.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष की बहस दिनांक 03.04.2018 को सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि साबिक आराजी संख्या 107/4 रकबा 2 बीघा के हाल आराजी संख्या 757 बने है और जांच रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट थी कि रकबा 0.08 हेक्टर, जो कम हुआ बताया है वह रकबा 107/4 में से कम नहीं हुआ है व साबिक आराजी संख्या 752 में रकबा 0.08 हेक्टर का कब्जा होना बताया गया और 752 के पुराने साबिक आराजी संख्या 107 मी. से बना है, जो बिलानाम दर्ज है और उसमें से कमी रकबे की पूर्ति हेतु 0.08 हेक्टर भूमि एलोट की थी, जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 1 के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की भूमि 107/04 थे एवं 107/4 से 757 बना न कि 752, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से विधि विपरित जाते हुए 107 मी. जिसके हाल आराजी संख्या 752 बने है, उसमें से एलोट कर दी, जबकि वह बिलानाम भूमि है और जिस पर अपीलान्ट बाप-दादाओं के समय से काबिज हो उपयोग-उपभोग कर रहा है, शास्ति की रसीदें भी अपीलान्ट जमा करा रहा है, उक्त भूमि पर रेस्पोंडेंट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसका उससे सम्बन्ध रहा है, बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में साठगांठ कर मनमकसूद तरीके से विधि विपरित जाकर अन्य भूमि अपने नाम दर्ज करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा झुठी रिपोर्ट एवं झुठे प्रार्थना पत्र पर विश्वास कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत 2002 के संशोधन के बाद उसमें तकनिकी त्रुटी ही दुरुस्त किया जा सकता है, रकबा कमी पेशी नहीं बढ़ाया जा सकता है, अन्य भूमि उसे एलोट नहीं की जा सकती है, उस रकबे को बढ़ाने हेतु उसे समक्ष न्यायालय में वाद पेश करके ही वह

घोषणा प्राप्त कर सकता है, बावजूद इसके विधिक सिद्धान्तों एवं विधिक उपधारणाओं को नजरअंदाज करते हुए 0.08 हेक्टर भूमि रेस्पोंडेंट संख्या-1 के नाम समायोजन करने का आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट की विवादित आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व ही 2 बीघा दर्ज रेकार्ड थी एवं उसी पर रेस्पोंडेंट काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में भू-प्रबन्ध अधिकारियों को खातेदारी की आराजीयात में से रकबा कम दर्ज किये जाने का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं था फिर भी भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को नवीन नम्बर पर कायम कर रकबा कम दर्ज कर दिया है जबकि रेस्पोंडेंट उक्त जमीन 2 बीघा पर खरीद दिनांक से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था जिससे रेस्पोंडेंट उक्त आराजीयात में अपने खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कराने के अधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया जो पूर्ण विधिवत है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट के प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रकरण के तथ्यों का ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार रेस्पोंडेंट के पक्ष में निर्णय पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकर से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोंडेंट के तथ्यों की पुष्टि होने से कम किये गये रकबे को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का अधिकारी है। पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक ने उनकी मौका रिपोर्ट में भी 0.08 हेक्टर भूमि कम दर्ज होना मानते हुए रेस्पोंडेंट की कब्जे वाली आराजी न. 752 में से 0.08 हेक्टर भूमि वर्तमान दर्ज आराजी के साथ शुद्धि से दर्ज किये जाने की अनुशंसा की है। उक्त रिपोर्ट्स के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 19.05.2017 पारित किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं

होता है। जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भदोसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)  
संभागीय आयुक्त  
उदयपुर